उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों मार्ग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज, रायपुर, देहरादून

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E-mail:chayanayog@gmail.com

संख्याः 3436/अधियाचन/2025–26 देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति (संशोधित)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्याः 72/उ0अ0से0च0आ0/2025 दिनांक 02.06.2025 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के राज्य/जिला अध्यक्ष तथा सदस्यों के कुल 24 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 226/25–XIX–2/37 खाद्य/2022 टी.सी. (ई–42941) दिनांक 02 जुलाई, 2025 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में आयोग के विज्ञप्ति/शुद्धि–पत्र संख्याः 840/अधियाचन/2025–26 दिनांक 14 जुलाई, 2025 के द्वारा उक्त विज्ञापन से अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (पदकोड–UFC/SC/01/72/2025) के रिक्त 01 पद, न्यायिक सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (पदकोड–UFC/SMJ/02/72/2025) के रिक्त 02 पदों तथा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (पदकोड–UFC/DC/04/72/2025) के रिक्त 01 पद अर्थात कुल रिक्त 04 पदों को निरस्त किया गया।

आयोग के परीक्षा कार्यक्रम पत्रांकः 166 दिनांक 24 जुलाई, 2025 के द्वारा इन पदों की परीक्षा तिथि 09–10 नवम्बर, 2025 तथा परीक्षा कार्यक्रम संख्याः 3012 दिनांक 27 अगस्त, 2025 द्वारा इन पदों के साक्षात्कार की तिथि 15 दिसम्बर, 2025 से प्रस्तावित थी।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2025 तथा तद्क्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 307/25–/37खाद्य/2022 टी.सी.(ई–42941) दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के क्रम में विज्ञापन संख्याः 72/उ0अ0से0च0आ0/2025 दिनांक 02.06.2025 के अन्तर्गत विज्ञापित उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाती है।

31.X.25

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल),
सचिव।